LCONS- 2025/759
SDO

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) देवीपुरा

आदेश :-

आपकी या विपक्षी प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चिराना व भू.अ.नि. चिराना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 190 के अनुसरण में ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला ..... की जमाबन्दी वर्ष 2075-78 में खाता संख्या 195 में दर्ज में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	देवीपुरा	195	ताऊराम/रामेश्वर	ताराचन्द/रामेश्वर

(पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री .....को सूचनार्थ।
3. संलग्न पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर